भारत सरकार खान मंत्रालय भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय, रायपुर



वसुंधेव कुटुम्बकम् ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE



द्वितीय तल, जी0 एस0 आई0 फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर, पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)

फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590/95 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in

सं- CHG/BLS/LST-38CHG02003 प्रेषिति- खान कोड- 38CHG02003

दिनांक:-13.01.2023

श्री दिनेश कुमार सराओगी, नामित खान मालिक, गोडाडीह चूनापत्थर खान, सर्वश्री जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, पोस्ट बॉक्स न. 16, पतरापाली, खरसिया रोड, रायगढ़, छत्तीसगढ़-496001

ईमेल-dks@ispl.com, edsect@ispl.com

श्री नितेश रघुबंशी, खान एजेंट, गोडाडीह चूनापत्थर खान, सर्वश्री जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, पोस्ट- गोडाडीह, तहसील-मस्तुरी, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़- 495551, ईमेल-nitesh.raghuvanshi@jindalsteel.com

विषय :छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में स्थित आपके गोडाडीह महल नंबर-02 चुनापथर खदान 120.313 हैक्टर में खिनज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 एवं 2021 के नियमों के संबंध में | महोदय.

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक **13.12.2022** को इस कार्यालय के श्री प्रशान्त कुमार साहू, सहायक खनन अभियंता द्वारा श्री नितेश रघुवंशी, खान एजेंट की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के उपरांत पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण विकास नियमावली **2017** एवं संशोधित नियमावली **2021** के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
11(1)	The Mining operations required to be carried out in accordance with the Mining Plan approved, modified or reviewed by the Indian Bureau of Mines. However, mining operations have been found not carried out in accordance with the Modification of Review of Mining Plan (MRMP) approved dated 28.01.2022 to the extent indicated below: i) Environmental protection measures has not been undertaken around the waste dump and Soil dump as proposed course gravel bed 2m x 2m size, garland drain of 1000 m and Retaining wall of 700 m length were not found constructed around the waste & Soil dumps.
	 ii) Proposed safety measures i.e. fencing of 1000 m length was not found erected. iii) Top soil proposed to be stacked separately for utilization in systematic manner. However, topsoil has not been stacked separately; instead it found dumped in waste dump mixing with waste material.
	iv) For stacking of mineral only 0.82 ha. lease area has been earmarked in the mining plan; Whereas, it was observed that about 6 ha. Lease area has been utilized for mineral stacking; resulting in substantial deviation from the approved land use pattern.
	v) Limestone production reported carried out only 6,27,358 Tons, against the proposal of 15,40,000 Tons in the year 2021-22, which is substantially lesser than the approved quantity (-60.00 % deviation).
	vi) As per Annual Return submitted for the year 2021-22, Production of ROM (Limestone) of 170219.38 tonne was carried out from Dump workings, without such proposal in the mining plan.
	vii) As per mining lease deed enclosed with mining plan, produced limestone from this mining lease has to be utilized fully in captive cement plant only. Whereas, as reported in submitted returns, the entire quantity of limestone produced from the lease has been supplied as BF grade for use in steel plant only.
	Hence, above are observed to be against the systematic & scientific development of mines and also against the protection of environment in the mine.

- 02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 एवं संशोधित नियमावली 2021 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 एवं संशोधित नियमावली 2021 के नियम 11(2) के अंतर्गत ।
 - (क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
 - (ख) आपके विरूद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।
- 03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघन 11(1) का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय,

(प्रेम प्रकाश) क्षेत्रीय खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :- (ईमेल द्वारा) 1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर—440001 ।

2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, अटल नगर, छत्तीसगढ़।

क्षेत्रीय खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो